

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - वित्तौडगाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - मिस्बाहिडा-----

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 834 दायर दिनांक 09/10/2025 निर्णय दिनांक 21/10/2025

(Signature)



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क्र.नं..	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>मिस्बाहिडा</u>	<u>59</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>हस्ताक्षर पटवारी <u>Abbaraj</u></p> <p>पटवारी <u>मिस्बाहिडा</u></p> <p>हस्ताक्षर पीरदावर <u>श्रीमान</u></p> <p>हस्ताक्षर व मोहर <u>तहसीलदार</u></p>	<p>तहसालीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.श.अधि.1956 की धारा 136 के अन्वयेन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>मिस्बाहिडा</u> प.ह. <u>मिस्बाहिडा</u> खातासं <u>59</u> में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			पदेन सहायक कलक्टर कपासन	<p>सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-वित्तौडगाढ</p>

प्रतिलिपि पालनाथ:-

तह. कपासन (वित्तौडगाढ)

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार(भू.अ.) कपासन